रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2452] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2017/भाद्र 6, 1939
No. 2452] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2017/BHADRA 6, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ. 2798(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (xix)(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xix)(ग) डॉ. एस. के. मल्होत्रा	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख
कृषि आयुक्त,	से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,	
नई दिल्ली।	

[फा. सं. 13028/03/2015-पीपी-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार उसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1239(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O. 2798(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification, for item (xix) (c) and the entries relating thereto, the following item andentries shall be substituted, namely:—

"(xix) (c) Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 13028/03/2015-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) ,*vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 1239(E) , dated 12th April, 2017

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ. 2799(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् **:—**

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्याक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् **:—**

"1 डॉ एस. के. मल्होत्रा

कृषि आयुक्त,

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, अध्यक्ष**"**।

नई दिल्ली।

[फा. सं. 13028/03/2015-पीपी-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार उसे अधिसूचना संख्या का.आ. 848(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O. 2799(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"1. Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner,

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare,

New Delhi. Chairman".

[F. No. 13028/03/2015-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended vide number S.O. 848(E), dated 16th March, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.30 10:53:20 +05'30'